राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 983/2011/झुन्झुनू

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–तृतीय, वृत झुन्झुनू चिडावा। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स शंकर एजेन्सी, चिडावा झुन्झुनू। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 12/11/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 293/आरएसटी/झुन्झुनू/08–09 में पारित आदेश दिनांक 11.08.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत झुन्झुनू चिडावा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2008 के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 30 के तहत कायम कर रूपये 7258/रु– अधिभार रूपये 1089/– ब्याज धारा 58 रूपये 5016/– तथा शास्ति धारा 65 रूपये 16694/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी फर्म का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.03.2005 को पारित किया गया। इसके पश्चात ऑडिट एतराज के आधार पर उक्त वर्ष का पुनः कर निर्धारण अधिनियम की धारा 30 के तहत दिनांक 16.09.2008 को पारित किया गया। आलौच्य अवधि में फर्म के द्वारा घोषणा पत्र "एफ" फार्म के आधार पर रूपये 2672795/– का माल नमकीन मै0 बीकानेर वाला फूडस प्रा0लि0 नई दिल्ली से माल बिकने के लिये आया, जिसके घोषणा पत्र "एफ" फर्मा फर्म के द्वारा जारी किये गये। प्रत्यर्थी के इस वर्ष की लेखा पुस्तकों में माल खाते में रूपये 2563003/– का माल बिकने आने बाबत बताया गया। जिसमें से रूपये 109972/– की खरीद कर योग्य माल नमकीन की कम बतायी गई। जिस पर कर रूपये 7528/–, सरचार्ज रूपये 1089/– तथा ब्याज रूपये 5016/– तथा उक्त खरीद को लेखा पुस्तकों में जमा खर्च नहीं होने के आधार पर धारा 65 में शास्ति रूपये 16694/– आरोपित की गई। जिससे असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.08.2010 के द्वारा स्वीकार कर ली। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी ने आलौच्य अवधी में राज्य के बाहर से नमकीन की खरीद की जो प्रत्यर्थी द्वारा

लगातार.....2

प्रस्तुत एसटी–18ए के अनुसार रूपये 2672795/– की है। जबकि व्यापार खाते में प्रत्यर्थी द्वारा खरीद रूपये 2563003/– बताई है। इस प्रकार प्रत्यर्थी ने रूपये 109972/– की खरीद कर योग्य माल नमकीन की कम बताई गई। उक्त आधार पर सशक्त अधिकारी ने उचित रूप से मांग राशियों का आरोपण किया। जिसको अपीलीय अधिकारी ने बिना तथ्यों को ध्यान रखते हुए अपास्त किया है वह अनुचित व विधि विरूद्ध है जिसको अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। सशक्त अधिकारी के द्वारा फर्म का पुनः कर निर्धारण अधिनियम की धारा 30 में दिनांक 16.09.2008 को पारित किया गया। जिसमें रूपये 109972/– का माल नमकीन का फर्म की नियमित लेखा पुस्तकों में जमा खर्च नहीं होने के आधार पर कर, ब्याज तथा शास्ति आरोपित की। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर सशक्त अधिकारी की द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। प्रत्यर्थी ने रूपये 109972/– का माल खाते में जो फर्क आ रहा था, उस बारे में स्पष्ट रूप से बताया कि ये स्कीम के तहत दिल्ली की फर्म के द्वारा अपने ग्राहकों को ट्रेड डिस्काउण्ट दिया गया। उक्त डिस्काउण्ट + रिबेट आरएसटी एक्ट की धारा 2(36) में स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है, जिसके अनुसार बाजार में जो सामान्यता व्यापार में सिस्टम प्रचलित है, उसके अनुसार उक्त डिस्काउण्ट विधिसम्मत है। इसी आधार पर ट्रेड डिस्काउण्ट प्राप्त किया है। प्रत्यर्थी ने अपनी लेखा पुस्तकों में उक्त ट्रेड डिस्काउण्ट का पूर्ण जमा खर्च भी कर रखा है तथा ट्रेड डिस्काउण्ट माल खाते में डेबिट कर रखा है। साथ ही इस माल का उसने घोषणा पत्र "एफ' फार्म भी जारी कर रखा है। अतः अपीलीय अधिकारी ने उचित रूप से कर, सरचार्ज, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किया है, जिसके कारण अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

6. परिणामतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य